आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–61/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
सरस्वती देवी—विक्रेता
प्रति
श्रीमती उषा देवी—क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता सरस्वती देवी, पति–स्व० हरिहर राम, ग्राम–खरौन्धी, पोस्ट–खरौन्धी, थाना–खरौन्धी, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती उषा देवी, पति–शिवदास बैठा, ग्राम–खरौन्धी, पोस्ट–खरौन्धी, थाना–खरौन्धी, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, खरौन्धी से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, खरौन्धी के पत्रांक 275/दिनांक 02.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तथा विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के बाबा ससुर यदुनन्दन राम के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के दुसाध (अनूसुचित जाति) एवं क्रेता जाति के धोबी (अनूसुचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, खरौन्धी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता सरस्वती देवी, पति–स्व० हरिहर राम, ग्राम–खरौन्धी, पोस्ट–खरौन्धी, थाना–खरौन्धी, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती उषा देवी, पति–शिवदास बैठा, ग्राम–खरौन्धी, पोस्ट–खरौन्धी, थाना–खरौन्धी, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
खरौन्धी	09	पुराना–180 नया–466	पुराना–444 नया–3948	0.01	उ०–रास्ता, द०–शिव साव वगैरह, पू०–टेकानी राम, प०–लालमनी राम,
			पुराना–445 नया–3947	0.04	
			कुल रकबा:–	0.05	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

19/09/22 अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

19/09/22 अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:07:44 +05:30
Location: 192.168.36.160

... इतआम तालिका "क" की भूमि विक्री किये बिना संभव नहीं है।

जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा-822114

H - 19705

कोषाध्यक्ष

सचिव

Scanned with CamScanner